अत्यावश्यक

राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार
STATE ELECTION COMMISSION, BIHAR

सत्यमेव जयते

पत्रांक – न.नि. 50–37 / 2023 261

प्रेषक,

संयुक्त सचिव
राज्य निर्वाचन आयोग,
बिहार

सेवा में,

सभी जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)
–सह–जिला पदाधिकारी, बिहार।

पटना, दिनांक – 19.1.24

विषयः– नगरपालिका उप निर्वाचन, 2023 के निमित्त Exit Poll/Opinion Poll के मार्ग दर्शन के संबंध में।

प्रसंगः– जिला निर्वाचन पदाधिकारी (नगरपालिका)–सह–जिला पदाधिकारी, सारण का पत्रांक 192 / जि.पं. दिनांक 18.01.2024

महाशय,

निदेशानुसार उपर्युक्त विषय के संबंध में कहना है कि बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथासंशोधित) की धारा–455 में प्रत्येक व्यक्ति के लिए प्रचार प्रसार पर प्रतिबंध का उपबंध अंकित है, जो निम्नवत् है :–

" 455– मतदान की समाप्ति के लिए नियत समय के 48 घंटों की अवधि के दौरान आम सभाओं पर प्रतिबंध।

1. **कोई भी व्यक्ति–**

(क) निर्वाचन के संबंध में किसी चुनाव संबंधी जुलूस या आम सभा संबंधी संयोजन, धारण, उपस्थिति, आयोजन या संबोधन नहीं करेगा;

(ख) सिनेमाटोग्राफ, टेलीविजन या अन्य समान उपकरण के जरिये किसी निर्वाचन मामले को जनता को नहीं दर्शायेगा ; या

(ग) किसी रंगमंच या संगीत सभा का प्रदर्शन या किसी अन्य मनोरंजन या मन बहलाने वाले कार्यक्रमों के आयोजन से जनता के सदस्यों को आकर्षित करने के उद्देश्य से किसी मतदान क्षेत्र में उस मतदान केन्द्र पर किसी निर्वाचन के लिए मतदान की समाप्ति के लिए नियम समय से 48 घंटे पूर्व की अवधि के भीतर किसी चुनाव विषयक मामले का प्रचार नहीं करेगा।

2. ऐसा कोई व्यक्ति जो उपधारा–(1) के प्रावधानों का उल्लंघन करे दो वर्षो तक के कारावास या जुर्माने से या दोनो से, दण्डनीय होगा।

3. इस धारा में, अभिव्यक्ति ''चुनाव मामले'' से अभिप्रेत है निर्वाचन के परिणाम को प्रभावित करना या प्रभावित करने के लिए आशयित या प्रगणनित कोई मामला।''

उक्त धारा की कंडिका–3 से स्पष्ट है कि प्रत्येक व्यक्ति के लिए (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक एवं सोशल मिडिया सहित) धारा–455 में अंकित समयावधि में निर्वाचन या इसके परिणाम को प्रभावित करने हेतु किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार (सर्वे/ Exit Poll/Opinion Poll सहित) किसी भी माध्यम (प्रिंट, इलेक्ट्रॉनिक अथवा सोशल मिडिया) से करना प्रतिबंधित है।

अतः बिहार नगरपालिका अधिनियम, 2007 (यथासंशोधित) की धारा–455 के उपबंधों के अधीन कार्रवाई की जाए।

विश्वासभाजन

19/1/24

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक न.नि. 50–37/2023– 261 पटना, दिनांक– 19.1.24

प्रतिलिपि : आई.टी.सेल, राज्य निर्वाचन आयोग, बिहार, पटना को समाधान पोर्टल पर अपलोड हेतु प्रेषित।

19/1/24

संयुक्त सचिव।

ज्ञापांक न.नि. 50–37/2023– 261 पटना, दिनांक– 19.1.24

प्रतिलिपि : सभी प्रमंडलीय आयुक्त को सूचनार्थ हेतु प्रेषित।

19/1/24

संयुक्त सचिव।